

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2652
11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न
कर्नाटक में खाद्यान्न भंडारण क्षमता

2652. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या कर्नाटक राज्य खाद्यान्न भंडारण क्षमता की भारी कमी का सामना कर रहा है और उसे अतिरिक्त भंडारण क्षमता की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुओं के लिए प्रभावी भंडारण क्षमता के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किए गए भंडारण की कमी के आकलन संबंधी अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम, (सीडब्ल्यूसी) और कर्नाटक सरकार ने खाद्यान्न भंडारण क्षमता की भारी कमी के इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): कर्नाटक एक विकेंद्रीकृत खरीद राज्य (डीसीपी) है। राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) की आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न खरीदती है, उसका भंडारण करती है और उसे वितरित करती है। आवश्यकता से कम खरीद होने की स्थिति में, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अधिशेष खरीद वाले राज्यों से स्टॉक मंगाकर कमी को पूर्ण करता है। दिनांक 01.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में खाद्यान्न भंडारण हेतु एफसीआई (स्वामित्व 4.61+किराए पर 5.21) के पास 9.82 लाख टन कवर की गई भंडारण क्षमता उपलब्ध है जबकि भंडारित स्टॉक 8.73 लाख टन है।

इसके अलावा, केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), कर्नाटक राज्य में 33 गोदामों का संचालन कर रहा है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 6.71 लाख टन है, जिसमें खाद्यान्नों का भंडारण भी शामिल है।

सीडब्ल्यूसी ने वर्ष 2020-2024 के दौरान 1,34,046 टन की भंडारण क्षमता का निर्माण किया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अनुसार वर्ष 2013-14 के दौरान अध्ययन किया गया था। अध्ययन में अनुमान लगाया गया था कि वर्ष 2016-17 के अंत तक 27.47 लाख टन भंडारण क्षमता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिंसों के लिए 17.95 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता की आवश्यकता होगी। अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर, कर्नाटक राज्य भंडारण निगम ने नाबार्ड को ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा था।
